

बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

पत्र सं०- 10/विविध/आ०प्र०प्रा०- 09/2013 4904 पटना दिनांक - 6/11/13

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 (अधिनियम 53, वर्ष 2005) की धारा 48 उप धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य में राज्य आपदा प्रशमन निधि (State Disaster Mitigation Fund) के नाम से एक निधि स्थापित करती है। इस निधि का रख-रखाव व्ययगत न होने वाले लेखा के रूप में वाणिज्यिक बैंक में खाता खोलकर किया जायेगा।

इस निधि का उपयोग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली 2012 जो अधिसूचना सं० 180 दिनांक 15.1.2013 द्वारा अधिसूचित है, के नियम 33 (3) के अन्तर्गत प्रावधानित कार्य/ उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। प्रारम्भ में यह निधि पांच करोड़ रुपये की होगी, जिसका प्रबंधन एवं प्रशासन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियमावली के प्रावधानित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

इस निधि की स्थापना में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अ०२१/१०
(व्यासजी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 4904 पटना, दिनांक- 6/11/13
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 4904 पटना, दिनांक- 6/11/13
प्रतिलिपि- सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/ प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 4904 पटना, दिनांक- 6/11/13
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव --सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 4904 पटना, दिनांक- 6/11/13
प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/ माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अ०२१/१०
प्रधान सचिव